राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ

पत्रांक अधि0–क–2/(100/9)/2009– 324 दिनांक 24/3/2011

कार्यालय ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में गठित वेतन समिति उ0प्र0, 2008 द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में स्वशासी संस्थाओं हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुरूप मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल की 136 वीं बैठक दिनांक 05.08.2010 के मद सं0–12 पर वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वेतन पुनरीक्षण का लाभ एरियर सहित प्रदान किये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 उ0 प्र0 शासन को पूर्ण औचित्य के साथ प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त संदर्भ में शासनादेश संख्या–448/अस्सी–1–2011–600(187)/2010 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाओं की स्वीकृति के कम में दिनांक 01.01.2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराया गया है तथा वास्तविक लाभ/नगद भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से स्वीकृति दी गयी हैं।

अतएव उक्त शासनादेश संख्या–448/अस्सी–1–2011–600(187)/2010 दिनांक 18 मार्च, 2011 एवं उसके साथ संलग्नकों की छायाप्रतियां संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि उक्त शासनादेशानुसार वेतन निर्धारण परिषद कार्मिकों का परिषद मुख्यालय स्तर से तथा मण्डी समिति कार्मिकों का परिषद के सम्भागीय स्तर से किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था प्रभावी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार सम्बन्धित पदधारक का होगा।

संलग्न–यथोपरि।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश की एक–एक प्रति अपने सम्भाग की समस्त मण्डी समितियों को अपने स्तर से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त उपनिदेशक (निर्माण/वि0/यां0) व विशेष कार्याधिकारी (विधि) मण्डी परिषद।
5. आदेश/गार्ड फ़ाइल।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक(प्रशासन)
24.03.11

संख्या–458/अस्सी–1–2011–600(187)/2010

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2011

विषयः–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन सरंचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाओं की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–अधि0–क–4(100/9)/2009–983, दिनांक 11–8–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 की स्वशासी संस्थाओं के सन्दर्भ में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के पूर्णकालिक/नियमित कार्मिकों को संलग्न तालिका–1 एवं 2 के अनुसार पदवार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ/नगद भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को परिषद/समितियों द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा और इस हेतु कोई शासकीय अनुदान देय न होगा।

2.2 पुनरीक्षित वेतन संरचना में परिषद/समितियों के कार्मिकों को मँहगाई भत्ता समय–समय पर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य भत्तों की भाँति देय होंगे।

2.3 पुनरीक्षित वेतन संरचना में परिषद/समिति के कार्मिकों को मकान किराये भत्ते एवं नगर प्रतिकर भत्ते की वही दरें/व्यवस्था, जो राज्य कर्मियों को अनुमन्य है, तत्काल प्रभाव से उक्त इंगित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी।

-----2----

राजेश कुमार सिंह
निदेशक
मण्डी परिषद उ0 प्र0

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

(राम केवल)
उप निदेशक (प्रशा0/विप0)

2.4 समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0(स्त्रोन्नयन) की संशोधित व्यवस्था, स्वैच्छिक परिवार कल्याण प्रोत्साहन तथा सामूहिक बीमा की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेगें।

2.5 पुनरीक्षित वेतन सरंचना में वेतन निर्धारण के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–195, दिनांक 17–3–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

18.03.11

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

संख्या– 548 (1)/80–1–2011तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(3) वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2/1(तीन–2 प्रतियों में)
(4) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या ५५८/80–1–2011–600(187)/2010, दिनांक 18 मार्च, 2011 का संलग्नक(तालिका–1)

मण्डी परिषद सेवा

क्रमांक	पद का नाम	पंचम वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान	छठे वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना		
			वेतन बैण्ड–4	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य अभियन्ता	14300–18300	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
2	अधीक्षण अभियन्ता	12000–16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
3	मुख्य लेखाधिकारी	12000–16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
4	संयुक्त निदेशक(विपणन)	10650–15800	वेतन बैण्ड–3	पद समाप्त	–
5	उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
6	उपनिदेशक(भूमि अध्याप्ति)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
7	उपनिदेशक(विधि)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
8	उपनिदेशक(मार्केट सर्वे)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सम्प्रेक्षाधिकारी	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
10	उपनिदेशक(निर्माण)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
11	उपनिदेशक(विद्युत यॉत्रिक)	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
12	सिस्टम मैनेजर	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
13	विपणन प्रबन्धक	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
14	प्रचार अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
15	विपणन अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
16	सॉख्यिकीय अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
17	विधि अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
18	अनुश्रवण अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
19	प्रशासनिक अधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
20	लेखाधिकारी/सम्प्रेक्षाधिकारी	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
21	सहायक अभियन्ता(सिविल)	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400

22	सहायक अभियन्ता(वि0यॉ0)	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
23	सहायक अभियन्ता(इलेक्ट्रानिक्स)	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
24	सहायक वास्तुविद/सहायक नगर योजनाकार	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
25	तकनीकी अधिकारी (मा0सा0)	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
26	प्रोग्रामर	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
27	सुरक्षा अधिकारी	8000--13500	वेतन बैण्ड--3	15600--39100	5400
28	निजी सचिव	6500--10500	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4600
29	अनुभाग अधिकारी	6500--10500	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4600
30	सहायक लेखाधिकारी/ सहायक सम्प्रेक्षाधिकारी	6500--10500	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4600
31	अपर अनुश्रवण अधिकारी/ अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	5500--9000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
32	वास्तुविद सहायक	5500--9000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
33	वरिष्ठ सहायक/विधि सहायक/अनुश्रवण सहायक आदि	5000--8000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
34	सॉख्यिकीय संगणक/ विधायन कार्य सहायक	5000--8000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
35	लेखाकार/सम्प्रेक्षक	5000--8000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
36	संगणक	5000--8000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
37	तकनीकी सहायक	5000--8000	वेतन बैण्ड--2	9300--34800	4200
38	आशुलिपिक	4500--7000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2800
39	अवर अभियन्ता(वि0यॉ0)	4500--7000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2800
40	अवर अभियन्ता(सिविल)	4500--7000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2800
41	कम्प्यूटर आपरेटर	4500--7000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2800
42	मानचित्रक	4000--6000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2400
43	टंकक/लिपिक	4000--6000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2400
44	लेखालिपिक	4000--6000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2400
45	टेलीफोन आपरेटर (पी0बी0एक्स आपरेटर)	4000--6000	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	2400
46	उर्दू अनुवादक/ सह कनिष्ठ सहायक	3050--4590	वेतन बैण्ड--1	5200--20200	1900

----3---

47	वाहन चालक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
48	रोड रोलर चालक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
49	प्रचार सहायक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
50	इलेक्ट्रीशियन	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
51	दफतरी	2610–3540	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
52	मशीन मैन	2610–3540	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
53	ब्लू प्रिन्टर	2610–3540	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
54	चपरासी/चौकीदार	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
55	माली	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
56	सुरक्षा गार्ड	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
57	रोड रोलर क्लीनर	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
58	फर्राश	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
59	सफाई कार	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

शासनादेश संख्या 448 /80–1–2011–600(187)/2010, दिनांक 18 मार्च, 2011 का संलग्नक(तालिका–2)

मण्डी समिति सेवा

क्रमांक	पद का नाम	पंचम वेतनमान में स्वीकृत वेतनमान	छठे वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना		
			वेतन बैण्ड–4	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	सचिव श्रेणी–1	10000–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
2	सचिव श्रेणी–2	8000–13500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
3	सचिव श्रेणी–3 ग्रेड–1	6500–10500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600
4	सचिव श्रेणी–3 ग्रेड–2	5500–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
5	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी–1	5500–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
6	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी–2	5000–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
7	प्रधान लिपिक	4000–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	लेखाकार	5500–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
9	अमीन/नीलामकर्ता(मण्डी निरीक्षक)	4500–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	लिपिक/टंकक/लेखालिपिक/कोषलिपिक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
11	वाहन चालक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
12	मण्डी सहायक	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
13	पम्प आपरेटर/विद्युतकार	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
14	लाइनमैन	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
15	विद्युतकार	3050–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
16	चपरासी	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
17	चौकीदार	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800

18	सुरक्षागार्ड	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
19	वाटरमैन	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
20	भिश्ती	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
21	माली	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
22	सफाईकार	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
23	मण्डी अभिरक्षक	2550–3200	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव